

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

नियम 2 : केन्द्रीय माल और सेवाकर नियमों का लागू होना

एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 20 में विनिर्दिष्ट उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017, जहां तक हो सके, एकीकृत कर के संबंध में उस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे केन्द्रीय कर के संबंध में लागू होते हैं।
